Form No.III
फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.) मुकाम

अज ..... बनाम सरकार तहसीलदार (फैडता)

अर्जुनराम, सीताराम

किस्म मुकदमा राजस्ववाद नम्बर 421 सन् 18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम को इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.7.2018	प्रार्थी अर्जुनराम ने आज आपके दायर केस कोर्ट हदसीलदार मे दावा काबत घोषणा, करवाई स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया नोटल रजिस्टर है। तहसीलदार फैडता के प्रकरण मे जांच कर पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट व मौका रिपोर्ट के आधार पर भूमि की अनुशंसा की रिपोर्ट दिनांक 13.6.2018 को की तथा राजपत्र के वारीशान का सत्यापन किया। की रिपोर्ट के साथ पत्रावली आज पेश की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का दावा अभिलेख पर तहसीलदार फैडता की रिपोर्ट दिनांक 13.6.2018 एवं राजपत्र के सभी वारीशान की सत्यापन रिपोर्ट, अनुशंसा के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार फैडता की रिपोर्ट 13-6-2018 एवं मौका रिपोर्ट 5/6/18 पटवारी हल्का/LR के हवाला 6-6-18 का किये जाने निर्णय जारी होगा। तहसीलदार फैडता यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश अथवा आदेश, भूमि बदल नहीं हो, निषेधक आज्ञा नहीं होने निकटतम अपनी रिपोर्ट दिनांक 13-6-18 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसला शुमार रिकार्ड खाना कार्यवाही दायिक दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मेड़ता (राज.)	